कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद - 009
OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS
No.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500009
दूरभाष/TELE: 040-27843385 फैक्स/FAX:040-27817275
ई-मेल/Email : secd-ansn-cda@nic.in

भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

का.आ. भाग । सं. 01 **दिनांक : 28.02.2023**

विषय: रक्षा लेखा विभाग में सहायक लेखा अधिकारी (श्रेणी-ख) की शक्तियों में वृद्धि ।
संदर्भ: इस कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 19.10.2011 का का.आ. भाग 1 सं. 112.

******

उपरोक्त विषय पर मुख्यालय कार्यालय के दिनांक 24.02.2023 के पत्रांक AN/XI/11060/Powers/AAO/Vol.III की प्रति को सूचना एवं आवश्यक अनुपालन हेतु नीचे पुनरुद्धृत किया गया है ।

हस्ता/-
(श्रीनिवास राज बेथम)
नियंत्रक

मुख्यालय कार्यालय के दिनांक 24.02.2023 के पत्रांक AN/XI/11060/Powers/AAO/Vol.III का उद्धरण

विषय: रक्षा लेखा विभाग में सहायक लेखा अधिकारी (श्रेणी-ख) की शक्तियों में वृद्धि ।
संदर्भ: मुख्यालय कार्यालय के दिनांक 28.08.2003, 30.07.2008 और 05.10.2011 के परिपत्र सं. AN/XI/11060/Powers/AAO/Vol.III

मुख्यालय कार्यालय के उपरोक्त पत्रों के क्रम में, निम्नलिखित मदों के संबंध में सहायक लेखा अधिकारियों (श्रेणी-ख) को प्रत्यायोजित शक्तियों में निम्नानुसार वृद्धि की गई है:

क्र. सं.	मुख्यालय कार्यालय के दि. 28.08.2003, 30.07.2008 और 05.10.2011 के परिपत्र संख्या AN/XI/11060/Powers/AAO/Vol.III के अनुलग्नक 'ए के अनुसार मद	वर्तमान वित्तीय शक्तियाँ (रु.)	बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियाँ (रु.)
1.	मद सं. xiv : विविध अनुभाग बिल **(जेम बिल)**	50,000	5,00,000
2.	मद सं. xvi(a): तीसरे पक्ष के दावे **(जेम बिल)**	50,000	5,00,000
3.	मद सं. xiv : विविध अनुभाग बिल **(गैर-जेम बिल)**	50,000	1,00,000
4.	मद सं. xvi(a): तीसरे पक्ष के दावे **(गैर-जेम बिल)**	50,000	1,00,000

2. तदनुसार, इस कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 19.10.2011 के का.आ. भाग 1 सं. 112 में निम्नानुसार संशोधन कर लिया जाए :

(i) कोई परिवर्तन नहीं

(ii) दो स्तरीय प्रसंस्करण (लेखा परीक्षक + ले.अ./व.ले.अ.) - सहायक लेखा अधिकारी की वित्तीय शक्तियों से अधिक और रु. 2.00 लाख तक (केवल दो लाख) के मूल्य वाले **गैर-जेम बिलों के लिए** ।

(iii) **तीन स्तरीय प्रसंस्करण (लेखा परीक्षक, स.ले.अ. और ले.अ./व.ले.अ.)** - रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, नई दिल्ली के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यालयों में रु.2.00 लाख से अधिक के **गैर-जेम बिलों के लिए** और 5.00 लाख रुपये से अधिक मूल्य से लेकर रु.1.00 करोड़ तक के **जेम बिलों के लिए** । रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, नई दिल्ली के संबंध में यह सीमा रु.5.00 करोड़ तक होगी।

(iv) कोई परिवर्तन नहीं

(v) कोई परिवर्तन नहीं

3. उपर्युक्त प्रावधान मुख्यालय कार्यालय के परिपत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

हस्ता/-

वरिष्ठ रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशा)

मूलप्रति: AN/I/3012/Vol.I

संवितरण: मानक सूची के अनुसार

रामा

(के. रामकृष्णा)

लेखा अधिकारी (प्रशा)